

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 273/2012

संस्थित दिनांक-14.05.12

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद चौराहा
जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

1. जनवेद पुत्र परमालसिंह कुशवाह उम्र 29 साल
 2. सुदामा पुत्र अमरसिंह कुशवाह उम्र 27 साल
 3. राजकुमार पुत्र जगदीशसिंह कुशवाह उम्र 24 साल
 4. सुनील पुत्र चरनसिंह कुशवाह उम्र 24 साल
- निवासीगण ग्राम सर्वा थाना गोहद चौराहा
जिला भिण्ड म0प्र0

.....अभियुक्तगण

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 11.10.2017 को घोषित}

अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 452, 323/34, 294, 427 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दि0 07.05.12 को दिन के डेढ बजे या उसके लगभग स्टेशन रोड गोहद चौराहा स्थित फरियादी सोनू तोमर की दुकान गिल मोबाईल सर्विस सेंटर में फरियादी को उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात् ग्रह अतिचार कारित किया, अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया तथा उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में लातघूंसों से मारपीट कर फरियादी सोनू को स्वेच्छा उपहति कारित की, फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित कर फरियादी व अन्य सुनने वालों को क्षोभकारित किया तथा इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए तदद्वारा फरियादी सोनू को सदोष हानि या नुकसान कारित होना संभाव्य है, उसकी दुकान पर लगे कांच के शो केस तथा काउण्टर को डण्डों से तोड़कर उसे करीब तीन हजार रुपये का नुकसान कारित कर रिष्टि कारित की।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी सोनू तोमर स्टेशन रोड गोहद चौराहा पर गिल मोबाईल सर्विस सेंटर की दुकान चलाता था। दिनांक 07.05.12 को दिन के डेढ बजे दुकान पर बैठा था इतने में अभियुक्त जनवेद कुशवाह जो कि दो तीन दिन पहले मोबाईल खरीदकर ले गया था, वापस करने के लिए आया तो फरियादी ने मोबाईल वापस नहीं किया इस बात पर अभियुक्त जनवेद ने उसे मां बहन की गालियां दी। गाली देने से मना किया तो ग्राम सर्वा के अन्य अभियुक्तगण को बुला लिया और चारों अभियुक्तगण ने डण्डे से फरियादी की दुकान पर लगे शो केस के कांच तोड़ दिया तथा काउंटर का कांच भी तोड़ दिया। अभियुक्तगण ने लातघूंसों से मारपीट

की। जनवेद ने मुंह में घूंसा मारा। अजमत खां और विकास तोमर आ गए जिन्होंने बचाया। उक्त आशय की रिपोर्ट से अप0क0 75/12 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान नक्शामौका बनाया, आहत का मेडीकल कराया, अभियुक्तगण को गिर0 कर गिर0 पत्रक बनाये गये। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। वाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्तगण को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। कोई सारवान साक्ष्य अभिलेख पर न होने से अभियुक्तगण का दप्रस की धारा 313 के अधीन परीक्षण नहीं कराया गया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1-क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 07.05.12 को दिन के डेढ बजे या उसके लगभग स्टेशन रोड गोहद चौराहा स्थित फरियादी सोनू तोमर की दुकान गिल मोबाईल सर्विस सेटर में फरियादी को उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात् ग्रह अतिचार कारित किया ?

2-क्या उक्त दिनांक व समय पर फरियादी सोनू को शरीर पर कोई चोट मौजूद थी, यदि हाँ तो उसकी प्रकृति ?

3-क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया तथा उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में लातघूंसों से मारपीट कर फरियादी सोनू को स्वेच्छा उपहति कारित की ?

4-क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित कर फरियादी व अन्य सुनने वालों को क्षोभकारित किया ?

5-क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए तदद्वारा फरियादी सोनू को सदोष हानि या नुकसान कारित होना संभाव्य है, उसकी दुकान पर लगे कांच के शो केस तथा काउण्टर को डण्डों से तोड़कर उसे करीब तीन हजार रुपये का नुकसान कारित कर रिष्टि कारित की।

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में डा0 आलोक शर्मा अ0सा0 1, अजमत खां अ0सा0 2, राजेन्द्रसिंह अ0सा0 3, सुभाष पाण्डे अ0सा0 4, तथा विकास तोमर अ0सा0 5 को परीक्षित कराया गया। तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु सभी विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

6. प्रकरण में घटना के चक्षुदर्शी साक्षी अजमत अ0सा0 2 तथा विकास अ0सा0 5 के रूप में परीक्षित कराए गए। उक्त दोनों फरियादी सोनू को तो जानना बताते हैं किन्तु अभियुक्तगण को नहीं जानते और न ही उनके समक्ष कोई घटना घटित होने का कथन करते हैं। दोनों ही साक्षी पुलिस को कोई कथन दिए जाने से इंकार करते हैं। अभियोजन साक्षियों को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षविरोधी

घोषितकर सूचक प्रश्न पूछे गए जिनमें साक्षियों ने उनके समक्ष दिनांक 07.05.12 को अभियुक्त जनवेद द्वारा मोबाईल वापस करने आने, फरियादी सोनू को गाली गलौंच करने, गाली गलौंच से मना करने पर शेष अभियुक्तगण को बुला लेने तथा अभियुक्तगण द्वारा दुकान के कांच तोड़कर फरियादी की लात घूंसे से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति पहुंचाए जाने के तथ्य से पूर्णतः इंकार किया है। साक्षीगण ने पुलिस कथन क्रमशः प्र0पी0 2 व 6 के विनिर्दिष्ट ए से ए भाग के तथ्य लिखाए जाने से इंकार किया है। इस प्रकार से अभियुक्तगण पर अधिरोपित आरोप के संबंध में किसी भी अभियोजन साक्षी द्वारा कोई कथन नहीं किया है।

7. प्रकरण में फरियादी सोनू तोमर की मृत्यु हो जाने से उसका कथन नहीं कराया जा सका। न्यायालय में दिनांक 07.06.16 को साक्षी की मृत्यु की सूचना उसकी आदेशिका पर प्रस्तुत की गयी। साथ ही साक्षी विकास अ0सा0 5 जो कि फरियादी सोनू तोमर का चचेरा भाई होना बताता है, उसके द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत कर सोनू की मृत्यु हो जाने का समर्थन किया है। न्यायालयीन साक्ष्य में एक साल पहले दुर्घटना में सोनू की मृत्यु होना बताई है। इस प्रकार से घटना का सर्वोत्तम साक्षी फरियादी सोनू परीक्षित नहीं कराया जा सका।

8. साक्षी राजेन्द्रसिंह अ0सा0 3 दिनांक 07.05.12 को थाना गोहद चौराहा में एचसीएम के कथन पर पदस्थ होने का कथन करते हुए बताते हैं कि उन्होंने सोनू की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया था, उक्त रिपोर्ट प्र0पी0 3 बताकर उसके ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। रिपोर्ट प्र0पी0 3 लिखाए जाने के तथ्य मात्र से यह प्रमाणित नहीं हो जाता है कि अभियुक्तगण पर अधिरोपित आरोप का कृत्य अभियुक्तगण ने किया हो। क्योंकि रिपोर्ट प्र0पी0 3 स्वयं सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आती है और न ही पुलिस कथन प्र0पी0 2 व 6 सारवान साक्ष्य की श्रेणी में आते हैं ऐसी दशा में उनका उपयोग मात्र साक्षी के पूर्व कथन का उपयोग मात्र खण्डन व पुष्टि के लिए किया जा सकता है।

9. प्रकरण में अन्य साक्षी डा0 आलोक शर्मा अ0सा0 1 तथा सुभाष पाण्डे अ0सा0 4 है जो कि औपचारिक दस्तावेजी साक्षी हैं। जहां अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 07.05.12 को दिन के करीब डेढ बजे घटनास्थल गिल मोबाईल सर्विस सेंटर पर जाकर फरियादी सोनू के साथ उपहति कारित करने की तैयारी से ग्रहअतिचार, सार्वजनिक स्थान पर अश्लील गाली गलौंच कर उसे क्षोभकारित करने तथा स्वेच्छा मारपीट कर उपहति एवं फरियादी को सदोष हानि कारित कर रिष्टि किए जाने के संबंध में कोई तथ्य प्रमाणित होता हो।

10. दांडिक विधि के अनुसार अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं

कहलाता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्तगण के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन यह तथ्य प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को संहिता की धारा 452, 323/34, 294, 427 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

11. अभियुक्तगण की जमानत भारहीन की जाती है, उनके निवेदन पर मुचलकर 6 माह तक प्रभावी रहेगा।

12. प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं।

13. यदि अभियुक्तगण इस प्रकरण में निरोध में रहे तो इस संबंध में धारा 428 दफ़्त का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश